Sudarshan Research Journal, 2025;3(2): Page No: 33-39

SUDARSHAN RESEARCH JOURNAL

ISSN: 2583-8792 (Online)

Journal home page: https://sudarshanresearchjournal.com/

Review Article

पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातीय वर्ग का विकास पंडित दीनदयाल उपाध्यय विचार दर्शन के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

यमुना देवी, डॉ. उदय भान सिंह *

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 01/02/2025
Revised: 23/02/2025
Accepted: 15/03/2025
Published: 20/03/2025

मुख्य शब्द:
लोकतान्त्रिक, विकेन्द्रीकरण, अंत्योदया, वनवासी, एकात्म मानवतावाद, विकसित भारत।

शोध सारांश

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पंचायती राज और अनुसूचित जनजातियों के अध्ययन के लिए यह शोध पत्र लिखा गया है। पंडित जी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के पक्ष में अपने विचार देते हुए पंचायतों को आधार मानते है। हमारे देश में लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। उन के विकास के लिए दीनदयाल जी ने विशेष ध्यान देने की बात की है। अपने अंत्योदया के विचार में भी दीनदयाल जी ने उस व्यक्ति के विकास की बात की है, जो निम्नतम स्थिति में है। यदि अंत्योदया के विचार को हम केवल आर्थिक दृष्टि से ही देखे तो यह उनके विचारों की एकपक्षीय व्याख्या होगी। जब हम पिछड़े की बात करे या उन लोगों की बात करे जिनके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो अनुसूचित जनजातियों कि हम कैसे अनदेखी कर सकते है। उपाध्याय जी के द्वारा इन्हे वनवासी कहा गया है। इस शोध पत्र में हम यही जानेगें कि उन्होंने पंचायतों को विकास में मील का पत्थर माना।

विकसित भारत की संकल्पना वर्तमान सरकार के द्वारा दी जा रही है। उस में पंचायतों और अनुसूसित जनजातियों की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल जी के विचारों का ही प्रभाव है कि ग्रामीण जनता के विकास के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही है। शोध पत्र के माध्यम से पंडित दीनदयाल जी के विचारों का विकसित भारत में क्या प्रभाव होगा, का भी अध्ययन किया जाएगा। एकात्म मानवतावाद के माध्यम से भी उन्होंने सभी के सम्मान विकास की बात की है। जिसको कि वर्तमान सरकार के द्वाराविकसित भारत में एक लक्ष्य रखा गया है।

प्रस्तावना

लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के अनुसार"देहाती स्थानीय निकायों" की स्थापना की गई। जिसमे दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होते थे । लेकिन नामांकन प्राप्त करने के लिए उन्हे जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर रहना पड़ता था । जिला मजिस्ट्रेट सभी देहाती बोर्डों का चेयरमैन होता था । रिपन के काल के पश्चात भी समय-समय पर स्थानीय स्वशासन पर ब्रिटिश सरकार के भारत गाँव का देश है । देश के सम्पूर्ण विकास के लिए ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैदिक काल से ही हमारे देश में ग्रामीण स्वशासन विद्यमान था। सतारवीं शताब्दी के आरंभ में भारत मेंब्रिटिश शासन शुरू हुआ। इसके द्वारा भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावितकिया गया । इसका एक उद्धारण हैं, सन् 1687 का मद्रास नगर निगम । मद्रास नगर निगम पूरी तरह से अंग्रेजी शासन प्रणाली के अनुरूप था । सन् 1726 में कोलकाता , मुंबई और मद्रास में एक नए प्रकार से नगर निगम की शुरुआत की गई । अंग्रेज भारत में अपने व्यापारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आए थे । उनका वास्तविक उद्देश्य अधिक से अधिक धन लाभ था । वे भारत में अधिक से अधिक धन प्राप्ति के साधनों का पता लगाना चाहते थे, इसके लिए लॉर्ड मेयो के

Author Address: शोधार्थी, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, केन्द्रीय वि.विद्यालय, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश

***Corresponding Author:** डॉ. उदय भान सिंह

Address: सह. आचार्य, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, केन्द्रीय वि.विद्यालय, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश

Relevant conflicts of interest/financial disclosures: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

© 2025, Yamuna Devi, this is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

द्वारा स्थानीय स्वशासन को फिरसे भारत में जीवित करने की कोशिश की गई। सन् 1870 में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए इन्होंने कार्य किया, और कुछ शक्तियां केंद्र से प्रांतों को प्रदान की गई ।

लॉर्ड मेयो के पश्चात लॉर्ड रिपन भारत में वायसराय आए । इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए विशेष कार्य किया और इन्हे ही भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है । सन् 1882 में द्वारा कार्य किया गया। परंतु ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भी सुधारत्मक कार्य किए गए वो केवल अंग्रेजों के हितों में ही होते थे ।

आजादी के बाद सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी । उन सब में एक प्रमुख चुनौती भारतीय ग्रामीण जनता के विकास की थी । गाँव के विकास के लिए सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में एकीकृत विकास करना था । ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर मे सुधार करना , ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा गाँव के लोगों में सामूहिक भावना का विकास करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। यह कार्यक्रम नीचे से ऊपर की ओर विकास सिद्धांत पर आधारित था।

सन् 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। यह पंचायती राज से संबधित एक महत्वपूर्ण समिति थी । इस समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। इसके अनुसार गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद होगी। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई। दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज में सुधार के लिए किया गया । इस समिति ने सिफारिश की थी,कि पंचायती राज संस्थाओ को त्रिस्तरीय के बजाए दो स्तरीय होना चाहिए । (जिला परिषद तथा मण्डल पंचायत)। इसने यह भी सिफारिश की थी, कि राजनीतिक दलों की सभी स्तरों पर भागीदारी होनी चाहिए । परंतु इस समिति की सिफारिशों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था ।

जी. वी. के. राव समिति , ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1985 में गठित की गई थी । इस समिति का गठन योजना आयोग ने किया था । इस समिति ने पाया था, कि विकास योजनाएं नौकरशाही की लापरवाही के कारणसुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। इसके चलते पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है । इसके बाद एल. एम. सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में पंचायती राज संस्थाओ के पुनरुद्धार के लिए की गई थी । इस समिति की सबसे बड़ी सिफारिश यह थी, कि पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए । और पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष और नियमित होने चाहिए ।

एल. एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1989 में ही राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वाँ और 65वाँ संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया था । परंतु यह राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था । इन समितियों के अलावा भी पंचायती राज पर अन्य अनेक समितियों के द्वारा अनेक सिफ़ारिशे की गई । उन मे प्रमुख थी हनुमंत राव समिति (1983), सरकारिया आयोग (1988), पी.के. थुंगन समिति (1989) और हरलाल सिंह खर्रा समिति (1990)। इन समितियों के द्वारा भी पंचायती राज पर अनेक सिफ़ारिशें की गई थी। उन मे से किसी को माना गया किन्ही को नहीं माना गया।

प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन बिल को दिसंबर , 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन बिल को लागू किया गया तथा 1 जून 1993 को 74वें संविधान संशोधन बिल को लागू किया गया । उन राज्यों को छोड़ कर जिन की जनसंख्या 20 लाख से कम हैं, में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । परंतु अनुसूचित जनजातियों के द्वारा इस अधिनियम को नहीं माना गया । उनका मांनना था, कि इस से ग्राम पंचायतों की शक्ति में तो वृद्धि होगी, परंतु जनजातीयां अपनी स्वायत पहचान नहीं रख पाएगी । इस के लिए सरकार के द्वारा PESA अधिनियम लाया गया ।

पेसा अधिनियम 1996 पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए लाया गया था । इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे है, जिन्हे अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है। यह अधिनियम दस राज्यों में लागू होगा। वे राज्य है आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राज्यस्थान और तेलंगाना । यह अधिनियम इन राज्यों के किसी सम्पूर्ण जिले या किसी भाग में लागू है । यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करना, ग्राम सभाओं की विकास योजनाओं की मंजूरी देने तथा सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है ।

साहित्य समीक्षा

- पोलिटिकल डायरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनुसूचित जनजातियों के बारे में अपने विचार दिए है। इस पुस्तक में उपाध्याय जी ने अनुसूचित जनजातियों के लिए वनवासी शब्द दिया है । उन्होंने मध्य प्रदेश में जनजातियों से हो रहे भेदभाव पर प्रकाश डाला है । क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिस से वन संपदा को हाथ तक नहीं लगाया जा सकता था । जबकि वनवासियों का जीवन तो वनों पर ही निर्भर होता है ।
- महेश चंद्र शर्मा के द्वारा 2017 में लिखी गई पुस्तक "आधुनिक भारत के निर्माता :पंडित दीनदायल उपाध्यय" पंडित जी के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर विचार दिए गए है ।पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा ही विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया है । यदि देश के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति लानी है तो राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीयकरण करना होगा । पंचायतों को उपाध्याय जी ने अर्थव्यवस्था का आधार माना है । उपाध्याय स्वलम्बी समर्थ ग्राम पंचायतों के पक्षधर है । हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होते है ।
- जोशी आर.पी., और नरवानी जी.एस., (2002), Panchayati Raj in India में बताते हैं किपंचायती राज, एक शासन प्रणाली के रूप में जमीनी स्तर पर शासन का सबसे व्यवहार्य रूप है । और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के लक्ष्यों को साकार करने का उचित तंत्र भारत में है । मौजूदा बहस इसकी वांछनीयता पर नहीं बल्कि इसे मजबूत करने पर है। इसकी कमजोरियों की पहचान करना और जो कमियां अभी भी हैं, उनका ध्यान रखना ।
- शर्मा, मुकेश, (2002), इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सशक्तिकरण की कल्पना सबसे अधिक की जाती है ।समतामूलक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। इसके दो तरीके हैं लोगों का सशक्तिकरण और दावे करके सत्ता प्राप्त करने वालों से अपने अधिकारों को प्राप्त करना। दोनो ही सशक्तिकरण के तरीके एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। लोगों द्वारा मांगी गई शक्ति प्रयासों के बिना हमेशा राज्य और उसके प्रभुत्व के संरक्षण की कल्पना की जाती है।

शोध उद्देश्य

1. पंचायती राज संस्थाओं के प्रभाव का अध्ययन करना । और विकसित भारत में उनके योगदान का अध्ययन करना ।
2. अनुसूचित जनजातियों की पंचायती राज में भूमिका का अध्ययन करना और पेसा अधिनियम से विकास में आए परिवर्तन का अध्ययन करना ।
3. पंडित दीनदयाल उपाध्यय के अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा पंचायती राज से संबधित विचारों का अध्ययन करना ।

शोध पद्धति

शोध पत्र को लिखने के लिए ऐतिहासिक विधि और समीक्षात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है । ऐतिहासिक विधि के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार पंचायती राज तथा जनजातियों के लिए दिए थे, उनका अध्ययन किया गया है । और समीक्षात्मक विधि का प्रयोग पंचायती राज और जनजातियों पर उनके विचारों का विकसित भारत में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उपयोग की गई है । समीक्षात्मक विधि से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण कर के उन विचारों की समीक्षा की गई है।

शोध अध्ययन

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय

पंडित दीनदायल उपाध्याय जी ने लोकतंत्र का भारतीयकरण किया है। उपाध्याय जी का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियाँ अलग-अलग होती है । किसी अन्य देश की शासन प्रणाली को बिना तर्क केअपनाना किसी भी मायनेमें सही नहीं है । भारत में प्राचीन काल से ही सभा तथा समिति जैसी संस्थाएं थी, जोकि लोकतंत्र का प्रतीक थी । उतर वैदिक काल में अनेक राज्य भारत में गणतांत्रिक थे ।उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग अशिक्षित है, उन्हे तो अपने राजनीतिक अधिकारों का पता नहीं है, लेकिन जो लोग शिक्षित भी है उनको भी अपने राजनीतिक अधिकारों की जानकारी नहीं है । इसके लिए उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय यह विचार भी दिया था, कि लोगों को पक्ष विपक्ष में वोट देने के साथ ही किसी को भी वोट न देने का अधिकार भी होना चाहिए । वर्तमान में जिसे NOTA कहा जाता हैं, जोकि 2014 में लोकसभा के चुनावों में प्रयोग में लाया गया है । दीनदयाल जी की प्रगतिशील सोच में यह विकल्प उस समय से ही हमे देखने को मिलता है । स्वतंत्रता के बाद देश उन मूल्यों और आदर्शों

को प्राप्त करने में असफल रहा है, जिनकी कल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने स्वतंत्रता से पहले की थी । उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना एकात्म मानव दर्शन दिया है । विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना प्रसिद्ध अन्तोदया का विचार दिया है । जिस में उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात की है ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा ही विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया है । यदि देश के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति लानी है, तो राजनीतिक संस्थाओ का विकेंद्रीकरण करना होगा । पंचायतों को उपाध्याय जी ने अर्थव्यवस्था का आधार माना है । उपाध्याय स्वलम्बी समर्थ ग्राम पंचायतों के पक्षधर है । हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होते है ।यदि ग्रामों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इसका अर्थ होगा, भारत पर ध्यान न देना। शहरों और गाँव का असमान विकास भारत की अखंडता के लिए घातक होगा। गाँव में भारत की आत्मा वास करती है । ग्रामीण लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पंचायतों की विशेष भूमिका होगी ।

लघु तथा कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था का प्राचीन काल से आधार रहे है। परंतु जैसे ही ब्रिटिश शासन ने भारत मे अपने पैर पसारे भारत के अपने उद्योगों का नाश हो गया । इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा किभारी उद्योगों का विकास करने मात्र से भारत का विकास नहीं होगा । देश के विकास के लिए अपनी मूल ग्रामीण शक्ति को पहचान होगा तथा पुनः इसके विकास पर ध्यान देना होगा । इस कार्य के लिए पंडित जी ने पंचायतों की मत्वपूर्ण भूमिका बताई है । प्रत्येक व्यक्ति को विकास के मार्ग पर लाने के लिए पण्डित दीनदयाल जी ने अंत्योदया का विचार दिया है ।

बहुत समय तक पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदया के विचार को केवल आर्थिक दृष्टि से ही अंतिम व्यक्ति के विकास के रूप मे देखा गया, जोकि उनके विचारों का एकांकीपक्ष है । उनका अंत्योदया का विचार एक विस्तृत विचार है । वे समाज के अंतिम व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास करने पर बल देते है । इसीलिए उन्होंने कहा कियदि भारत का विकास करना है तो गाँव का विकास करना होगा । पंचायतों को विकास के लिए अवसर प्रदान करने होंगे । केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों को शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए । इसके लिए सरकार के द्वारा समितियाँ भी बनाई जा रही है, पर उसके वास्तविक क्रियानवन्यन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

उपाध्याय जी के वनवासी समुदायों से संबंधित विचार

जनजातियाँ वह मानव समुदाय है,जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है । इन समुदायों की अपनी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है । ये लोग अपने ही समुदायों में विवाह करते है।अर्थात इन जनजातियों का अपना एक वंश , पूर्वज तथा सामान्य देवी-देवता होते है ।

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, "जनजाति का मतलब है, परिवारों छोटे समुदायों का समूह जो एक ही नेता के तहत एक साथ रहते है । ये लोग एक ही पूर्वज के वंशज होते है और एक ही रीति-रिवाज और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं"।

डी.एन. मजूमदार, "एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है । जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते है, समान भाषा बोलते है, और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते है"।

दीनदयाल उपाध्याय जी ने वनवासियों के लिए आदिवासी शब्द को सही नहीं बताया था । उनका मानना था,कि जो लोग जंगलों में रहते है, उनको वनवासी कहना उचितहोगा । इन्होंने कहा की सरकार अधिक जंगल उगाना चाहती है, और वन्य जीवों की रक्षा करना चाहती है । लेकिन वहाँ रह रहे मानवों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। युगों से ये लोग अपनी आय के लिए वनों पर निर्भर है, और एक सरल तथा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे है । इसके अतिरिक्त ये लोग बारी-बारी से अलग-अलग जगह पर खेती करते है, तथा जीवन निर्वहन के लिए अनाज उगाते है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं हुआ, कि ये लोग जंगलों का सिर्फ दोहन ही करते है। ये लोग वन लगाने का भी काम करते है । अर्थात् ये दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करते है, इसे 'टोइया' पद्धति कहते है। किन्तु वर्तमान सरकार ने विदेशी विशेषयज्ञों के प्रभाव में आ कर इस पद्धति को समाप्त कर दिया है। और सारे वनों को संरक्षित वन घोषित कर दिया । इस प्रकार बिना किसी आदेश के घास की पतियों को छूना तक अवैध बना दिया ।

इस पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि लेखनी की एक नोक पर मध्य प्रदेश के ही तीन लाख से अधिक लोग आजीविका विहीन हो गए, न ही सरकार के द्वारा उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई। जनजातिय लोगों का लकड़ी काटने वाले ठेकेदारों के द्वारा भी शोषण किया जा रहा है। उनको काम देकर ठेकेदार अपने को महान बताते है, जैसे काम देकर उन्होंने कोई भारी एहसान कर दिया हो । इस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते है,किसंविधान मे भले हीवनवासियोंको अधिकार दिए गए हो, परंतु वास्तव में

उनका आज भी शोषण हो रहा है। ये लोग सीध-साधे होते है,और इनकी आवश्यकताए भी काम होती है । लेकिन इनकी आजीविका के साधन भीतो कम ही है।

उपाध्याय जी कहते है, कि जब मे निगाड़ यात्रा पर गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहां के लोग ऐसे अपवाद ही होंगे जिनको दो समय का खाना मिलता होगा । भूमि दो उनके लिए एक मात्र नारा नहीं है,यह मरते लोगों की अपने अस्तित्व को बचाने की एक पुकारहै । संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किये गए है । उनके लिए विशेष कोषनिर्धारित किया गया है । परंतु इसका ज्यादा फायदा उन जनजातिय लोगों को मिलता है जिन्होंने इसाई धर्म अपना लिया है। इन लोगों ने अपने आप को संस्थागत श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है। और सरकार इन्हे अभी भी अनुसूचित जनजाति मानती है। ऑस्ट्रेलियाईयो ने देसी जनता को जगलों की ओर भेजा और मध्य प्रदेश सरकार इन्हे जंगलों से निकालना चाहती है।

पंडित दीनदयाल जी ने कहा,कि वनवासीभी भारत का उसी तरह से हिस्सा है, जिस तरह से भारत की अन्य ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है। ये लोग अपनी विशिष्ट पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैऔर इन्हे अन्य भारतीयों की भांति अपनी पहचान बनाए रखने का पूरा अधिकार मिलन चाहिए । हालांकि इन्हे अधिकार दिए भी गए हैपरंतु इनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है । जिस से इन वनवासियोंका विकास अवरुद्ध हो रहा है। “आदिम जाति सेवा संघ” ब्रिटिश भारत से ही जनजातियों के लिए एक संस्था बनी थी । परंतु आजादी के बाद यह केवल एक कांग्रेस की संस्था बन कर रह गई । जिस कार्य के लिए इसे बनाया गया था, वह कार्य यह नहीं कर पाई । इसकी स्थापना जनजातिय लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई थी ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा किइन लोगों पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । वनवासियों के लिए आय के साधन तो बढ़ाने ही चाहिए साथ ही में इन लोगों के लिए जो विशेष नीतियांऔर कोष बनाए गए है, उनको भी प्रभावी रूप में प्रभाव में लाना चाहिए । सरकार को इन लोगों के लोकनृत्यों का आयोजन करने के बजाए इन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे मनुष्य की भांति जीवन यापन कर सके । वनवासी आधुनिक सुविधाओं के आकांक्षी नहीं है। आधुनिकता ही उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा है। उन्हे केवल शांति चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनजातियों की समस्याओं का अनुमान नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने जनजातिय लोगों के बीच में जा कर उनकी समस्याओं को समझा और उन्हे दूर करने के उपाये भी बताए। सरकार उस समय काँग्रेस की थी, परंतु फिर भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोगों की समस्याओं को जानने के लिए देश भर मे भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं की सरकार के समक्ष रखा।

विकसित भारत में पंचायतों की भूमिका

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार पंचायते विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। अपने अंत्योदया के विचार में उन्होंने अंतिम व्यक्ति के विकास की बात की है । अगर वास्तव में उस अंतिम व्यक्ति का विकास करना है तो उनकी वास्तविक समस्याओं को समझना होगा। हमारे देश का आकार बहुत बड़ा और जनसंख्या भी बहुत अधिक है । जिस कारण से केंद्र सरकार की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच एक बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए उपाध्याय जी ने कहा कि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण विकास के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वावलंबी समर्थ ग्राम पंचायतों व जनपद व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए । हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होते है । ग्रामों को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अंततः भारत को उजाड़ने वाले सिद्ध होंगे ।

ग्रामीण विकास में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । यदि हम विकसित भारत की बात करते है, तो ग्रामीण लोगों के पास मूलभूत सुविधायें होना अति आवश्यक है। मूलभूत सुविधाओं में आते है पानी, शिक्षा, सड़के, बिजली, स्वास्थ्य, आदि । ये सारे कार्य सरकार के द्वारा पंचायतों को प्रदान किये गए है। ग्राम पंचायतों का इनकार्योंको करना अति आवश्यक है। ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा ज्ञान होता है, जो उन्हे कार्य को सुचारु रूप से करने मे मदद करता है। पंचायतों को स्थानीय विकास का हिस्सा बना कर वितिय संसाधनों का सही उपयोग होगा। पंचायतों को यह ज्ञान होता है, कि किस स्थान में विकास की ज्यादा आवश्यकता है तथा जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही है,वे सही लोगों को मिल रही है या नहीं, इसका ज्ञान भी पंचायतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कृषि, कुटीर उद्योगों और स्वरोजगार योजनाओ में पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है । आरक्षण के कारण महिलाओं की राजनीति भागीदारी में वृद्धि हुई है ।नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के द्वारा पास किया गया है। यह संविधान का 106 वाँ संवैधानिक संशोधन बिल है। यह विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता

है । विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है। चूंकि पंचायतों में पहले से ही महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। इसलिए पंचायते इस में विशेष कार्य करेगी। विकसित भारत में सामाजिक असमानता कम करने के लिए पंचायतों के द्वारा सामाजिक न्याय की दिशा में भी कार्य किया जाएगा । दलित, पिछड़े वर्गों तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना पंचायतों का प्रमुख कार्य होगा।

इसके लिए पंचायतों को प्रभावी नीतियाँ बनानी होगी तथा समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना होगा। विकसित भारत में पंचायतों को डिजिटली सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यदि पंचायते डिजिटली काम करेगी तो कार्य में पारदर्शिता भी आएगी तथा कार्य भी जल्दी होगा । इस से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा और त्वरित रूप में लोगों को मिलेगा । विकसित भारत के लिए पंचायतों को निर्णय लेना के अधिकार देने के साथ-साथ जबादेही संस्था भी बनाया जाएगा । यह सरकारी योजनाओ का प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करेगा और इस से भ्रष्टाचार भी कम होगा।

विकसित भारत में अनुसूचित जनजातियाँ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहा गया है । इन्होंने मध्य प्रदेश के वनवासियों की स्थिति को देखा और कहा था कि इनके लिए सरकार के द्वारा विशेष नीतियाँ बनाई जानी चाहिए ताकि इनकी विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सन् 1996 में जनजातियों की राजनीति में भूमिका बढ़ाने के लिए पेसा अधिनियम लाया गया । इसे इस तरीके से बनाया गया कि जनजातीय लोगों की विशेष पहचान भी बनी रहे और उनकी राजनीति में भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके । इस अधिनियम के द्वारा पंचायतों को विशेष अधिकार दिए गए। जैसे भूमि, वन, विकास योजनों को लागू करने के लिए। पेसा अधिनियम के माध्यम से जिलाधीश, राज्यपाल और विकास खंड अधिकारी को भी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, ताकि जनजातिय लोगों के विकास मे इनकी भूमिका को निर्णायक बनाया जा सके।

भारत मे 10-12 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय इलाकों और वन्य क्षेत्रों में रहती है । इन समुदायों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है । जब हम विकसित भारत की बात करते है, तो इन समुदायों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इन समुदायों की भागीदारी से राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। जनजातिय आय के लिए मुख्य रूप से कृषि, वन उत्पादों और हस्तशिल्प पर निर्भर रहते है। कृषि में जनजातिय लोग परंपरागत तरीकों का प्रयोग करते है, जोकि पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी होता है । इन समुदायों की भूमिका विशेष रूप से वनों के संरक्षण और जैव विविधता में महत्वपूर्ण होगी । विकसित भारत में इन समुदायों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए इनके पारंपरिक कौशल और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।

भारत में लंबे समय से जनजातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर रही है। इन के लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं भी बनाई गई है। विकसित भारत में इन लोगों का योगदान तभी होगा,जब इन को सामाजिक न्याय, समानताप्राप्त होगी । भारत की संस्कृति में जनजातीय संस्कृति और परम्पराएँ एक अमूल्य धरोहर है । इनकी विशिष्ठ भाषा, नृत्य, संगीत और कला भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। जनजातिय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन विकसित भारत में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इस के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी जनजातिय कला और शिल्प को बढ़ावा देना चाहिए। इससे जनजातियों की आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी तथा उनके सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होगा।

जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान से पर्यावरण का भी संरक्षण होता है । भारत के अधिकांश वन जो जैव विविधता से भरपूर है, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है । इस से हम सतत् विकास की दिशा में आगे की ओर अग्रसर होंगे । विकसित भारत में यदि जनजातिय समुदाय की भूमिका मे वृद्धि करनी है, तो जो नीतियाँ उनके विकास के लिए बनाई गई है, उनको सुदृढ़ता से लागु करना होगा । जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा । जनजातियों की इन नीतियों के लिए पेसा अधिनियम भी बनाया गया है। जिस से इनका विकास भी हो तथा इनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो । परंतु यह अधिनियम आज भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है । यदि जनजातियों का विकास करना है तो उस में पेसा अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होगा । जनजातियों के विकास के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है।

निष्कर्ष

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक मौलिक विचारक थे। उन्होंने अंत्योदया का विचार देकर देश के उस वर्ग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, जोकि निम्नतम स्थिति में था। जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत के समक्ष गरीबी, अशिक्षा जैसी अनेक समस्यायें थी । परंतु सरकार के द्वारा इन सब की अनदेखी की स गई तथा भारी उद्योगों पर ध्यान दिया । जबकि उस समय सरकार

को ग्रामीण जनता पर ध्यान देने की आवश्यकता थी । इस के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा विकेंद्रीकरण की तरफ ध्यान देने का आवाहन किया गया । उन्होंने गाँव को विकास का आधार माना है । जब वर्तमान सरकार के द्वारा विकसित भारत की संकल्पना दी जा रही है, तो यहाँ पर भी गाँव की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिय। भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या गाँव में रहती है । इसलिए गाँव का विकास किये बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है । हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनजातीय भी है, विकसित भारत में इनके विकास को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भारत देखा था, वो भी विकसित भारत का ही एक रूप है । जिस मे समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात उन्होंने की थी ।अतः विकसित भारत की संकल्पना को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थायें तथा जनजातियों के विकास के लिए पेसा अधिनियम प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा। यदि देश का विकास करना है, तो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास करना होगा । जोकि उनके सपनों का भारत होगा।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा एम.सी. (2017),"आधुनिक भारत के निर्माता :पंडित दिनदयाल उपाध्याय"प्रकाश विभाग ।
2. भारत का राजपत्र. (1996) "पंचायत उपवंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम" भारत सरकार ।
3. उपाध्याय डी.डी. "पॉलिटिकल डायरी" सुरुचि प्रकाशन ।
4. सिंह यू.बी. (2024) "पंडित दिनदयाल उपाध्याय विचार पुष्प" ग्रंथ पब्लिकेशन ।
5. कुजूर एफ. (2020) "पेसा की कार्यान्वयन स्थिति और पंचायतों के विकास में इसकी भूमिका" रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय
6. https://panchayat.gov.in
7. https://ncst.nic.in
8. प्रभु आर.के. "पंचायत राज" जीतेन्द्र टी.देसाई
9. मिश्रा एस.के. (2009) "पंचायतीराज समग्र आयाम" शारदा संस्कृत संस्थान ।
10. खत्री एच.के. (2017) "भारत में पंचायती राज" कैलाश पुस्तक सदन ।
11. https://www.india.gov.in.

HOW TO CITE THIS ARTICLE: यमुना, & सिंह, उ. भा. (2025). पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातीय वर्ग का विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन. सुदर्शन रिसर्च जर्नल, 3(2), 33-39.